



सत्यमेव जयते



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना

के तहत बेरोज़गार होने की स्थिति में भी भुगतान



विशेषताएं

- योजना के तहत कामगारों को बेरोज़गारी के दौरान आर्थिक सहायता
- जीवन में एक बार 90 दिनों तक राहत राशि का भुगतान
- राहत राशि, कामगार की आखिरी नौकरी में मिलने वाली औसत दैनिक कमाई का 50% की दर पर
- राहत राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में

दावे की प्रक्रिया

- आईपी पोर्टल www.esic.gov.in पर जाएं
- लॉगिन कर निर्धारित क्लेम फ़ॉर्म को भरें
- शपथ पत्र, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और बैंक खाते के विवरण के साथ फ़ॉर्म जमा करें
- फ़ॉर्म डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से भी ईएसआईसी शाखा कार्यालय में जमा किया जा सकता है



अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना से सम्बंधित जानकारी के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें